न्यायालय श्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:— 402/2019

वादीगण:—

1. भूराराम पुत्र श्री किशनाराम
2. अर्जुनराम पुत्र श्री किशनाराम
   जातियान सुथार निवासी धुन्धाड़िया
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी:— तहसीलदार ओसियां।

वादीगण अधिवक्ता:— श्री जसवन्तसिंह चौधरी।

प्रतिवादी अधिवक्ता:— सरकारी पैरोकार।

—:निर्णय:—

दिनांक 27.11.19

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:—ग्राम बेगड़िया पटवार क्षेत्र थोब तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में संवत् 2066 से 2070 की जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 79/2 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई थी जो खातेदार नारायणराम पुत्र श्री हरखाराम सुथार निवासी धुन्धाड़िया के नाम आई हुई थी जिसे वादी ने दिनांक 23.04.2019 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा खरीद की थी। जिसका बेचान नामा उप पंजीयक कार्यालय ओसियां में दिनांक 23.04.2019 को क्रम संख्या 201503077100664 पर पंजीबद्ध है। वक्त खरीद के बाद से उक्त भूमि पर वादीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में सामलाती दर्ज थी जिसका सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया जिसमें खातेदार किशनाराम के बंट में खसरा नम्बर 79/2 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा व खातेदार नारायणराम पुत्र श्री हरखाराम के बंट में खसरा नम्बर 79/8 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि रखी गई। जो बंटवाड़ा शेड्यूल से स्पष्ट है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 244 दर्ज किया गया जिस[illegible] अनुसार खसरा नम्बर दर्ज किये गये। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा संवत् 2[illegible] से 2070 बनाते वक्त भूलवश खातेदार नारायणराम के हिस्से में खसरा [illegible] 79/2 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी। संवत् 2066 से 2070 की जमाबन्दी के आधार पर वादीगण ने जमीन खरीद की थी।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादीगण ने अपनी खरीद सुदा भूमि के बेचान नामा की प्रति हल्का पटवारी को देकर वादीगण इस विश्वास में रहे की वादीगण के नाम बेचान दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जायेंगे। परन्तु हाल ही में दिनांक 11.11. 2019 को वादीगण ने अपनी भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की तो पता चला कि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तब वादीगण ने हल्का पटवारी को अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु कहा तो हल्का पटवारी द्वारा बताया कि संवत् 2071 से 2074 की कम्प्युटराइज जमाबन्दी बनाते वक्त हल्का पटवारी द्वारा भूल सुधार करते हुए बंटवाड़ा व नामान्तरकरण संख्या 244 के अनुसार खसरा नम्बर 79/8 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा नारायणराम के नाम दर्ज कर दिया तथा आपके बेचान नामे में खसरा नम्बर 79/2 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा दर्ज है इसलिए बेचान नामा के आधार पर आपके नाम दर्ज नहीं किये गये है। जबकि उक्त भूमि वादीगण की जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा खरीद की हुई है तथा बेचान की दिनांक से वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है, सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में बनता है तथा अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर पर वादीगण को ही हो रही है। प्रतिवादी श्रीमान् तहसीलदार ओसियां सरकारी अधिकारी है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादीगण का उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का वाद है जिसमें अतिशीघ्र अनुतोष प्राप्त किया जाना आवश्यक है इसलिए समयाभाव के कारण धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जाना असंभव है जिसकी छूट बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का अलग से प्रार्थना पत्र वाद के साथ प्रस्तुत किया। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम बेगड़िया पटवार हल्का थोब तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 79/8 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि में वादीगण को बेचान नामा दिनांक 23.04.2015 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किया जाकर बेचान नामे का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमावें।

यह है कि वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया जिसे रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। वादीगण पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 23.04.2015 के आधार पर स्वतः ही खातेदार घोषित है इसलिए वादीगण का धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज योग्य है तथा धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

::आदेश::

अतः वाद वादीगण धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादीगण की खरीद शुदा ग्राम बेगड़िया पटवार हल्का थोब तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 79/B रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि में वादीगण के बेचान नामा दिनांक 23.04.2016 के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 362 पृष्ठ संख्या 137 क्र.सं. 201603077100664 आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27.11.17 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:56:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner